

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

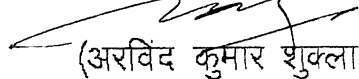
// आदेश //

क्रमांक C/2956 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2018

श्री नरेन्द्र कुमार रायपुरिया, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "अक्षय एकेडमी कॉलेज, इंदौर से नियमित छात्र के रूप में एलएल.बी तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

  
(अरविंद कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल  
for

पृष्ठांकन क्रमांक C/2957 /  
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 28/06/2018

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के पृष्ठांकन क्रमांक प्रशा./167-ए 1048 इंदौर, दिनांक 25.05.2018 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री नरेन्द्र कुमार रायपुरिया, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(यू. एस. दुबे )  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.  
for